प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 07/05/2018 को निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पौड़ी के द्वारा देहलचौंरी–पौड़ मोटर मार्ग से चामापानी–धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर का नव निर्माण बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार नेगी वन क्षेत्राधिकारी तथा स्थानीय प्रतिनिधि की ओर से श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह राजस्व उप निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मौ0 आरिफ कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1964 (मी0) नाप भूमि.से, 3036 (मी0) सिविल भूमि से, शून्य (मी0) वन पंचायत से, शून्य (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 3036 मी0, नाप भूमि 1.767 हे0, 2.125 हे0 सिविल भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.125 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 06 वृक्ष चीड़, प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।
इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2165 (मी0) नाप भूमि.से, 4030 (मी0) सिविल भूमि से, शून्य (मी0) वन पंचायत से, शून्य (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 4030 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी, 1.948 हे0 नाप भूमि 2.821 हे0 सिविल भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.821 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 36 वृक्ष चीड़, भीमल, सेमल व जामुन प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन **शून्य** कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन **शून्य** है एवं इन कक्षों में शून्य प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि........चीड़........पर ~~[illegible]~~ 9........प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़ 6..............प्रजाति के .वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन.......................है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78°43'13.94"E 30°13'28.59"N है तथा यह स्थल पौड़ी–देहलचौंरी–मुछियाली मोटर मार्ग के किमी0 29.500 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल कण्डोली है जिसका GPS मान 78°42'25.50 30°13'12.66"N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 78°43'03.23"E 30°13'30.73"N, 78°43'05.10"E 30°13'29.86"N 78°43'05.13"E 30°13'29.81"N 78°42'52.60"E 30°13'34.75"N, 78°42'25.67"E 30°13'34.56"N, 78°42'41.61"E 30°13'35.48"N, 78°42'32.34"E 30°13'35.32"N, 78°42'16.42"E 30°13'27.56"N, 78°42'18.12"E 30°13'24.74"N, 78°42'21.55"E 30°13'17.03"N हैं।

चयनित समरेखन में कुल ....पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate)किया जाना आवश्यक होगा ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/ नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नही होगा ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु चयनित स्थल उपयुक्त पाये गये हैं इस समरेखण पर मार्ग निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु चयनित स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 78°42'36.60"E 30°13'3.57"N, 78°42'18.26"E 30°13'26.21"N, 78°42'22.94"E 30°13'30.17"N, 78°42'18.58"E 30°13'71.74"N, 78°42'38.09"E 30°13'36.85"N, 78°42'55.89"E 30°13'33.26"N, 78°42'06.01"E

(9)

अन्य आवश्यक विवरण जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देहलचौरी पौड़ी मोटर मार्ग से चोमापानी-धौलकण्डी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर मार्ग

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (अन्य दावेदार) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि
		(सुरेन्द्र सिंह रावत) राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी ... पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)	प्रधान ग्राम सभा धौलकण्डी वि० ख० कोट, पौड़ी गढ़वाल	भास्करानन्द

नोट– इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी उप वन प्रभाग
पौड़ी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
लो०नि०वि० पौड़ी

(प्रताप सिंह)
राजस्व निरीक्षक
श्रीनगर
पौड़ी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर रेंज

17/1/19
तहसीलदार
पौड़ी

अमीन
P.Q.D पौड़ी
17/1/19

उपजिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी गढ़वाल

।। कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी सिविल एवं सोयम राजि ,श्रीनगर ।।

पत्रांक सेभो /12–1 दिनांक ,श्रीनगर , मई 29–5–, 2018।

सेवा में

अधिशासी अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी।

विषय – जनपद गढ़वाल में चामपाणी –धौलकण्डी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय

उक्त विषय कम में निवेदन है कि चामपाणी –धौलकण्डी 5कि0मी0 मोटर मार्ग के क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07–05–2018 को किया गया। जिसमें सिविल वन क्षेत्र 2.125है0 क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जिससे कटिंग में आ रहे वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क0स0	प्रजाति	पेड़ो की संख्या	व्यास वर्ग		धनराशि
			0–10से0मी0	10–20से0मी0	
1	चीड	9	09	0	0.00
2	चीड	6	0	06	1812.00

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर राजि।

पत्रांक / 7–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर राजि।

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, पौड़ी for diversion under FCA-1980) of 2.125 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x चामधारी-डांलखण्ड से काण्डा मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 17-06-19

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 2.125 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) ✓ The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) ✗ It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

Recommended to public Intest.

(Signature)

Place:- Pauri Garhwal.

Name [signature]

Designation प्रभागीय वनाधिकारी

Office Seal सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी

Date 17-06-19

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.